



आयुक्त अंकेक्षण केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर व केंद्रीय उत्पाद शुल्क कार्यालय जोधपुर  
जी.105 न्यू इंडस्ट्रियल एरियाए बासनी डीजल शेड के पास जोधपुर.342003

\*\*\*\*\*

### आदेश

यह आदेश श्री Ankit Agarwal- D 392 , Vidhyadhar Nagar Jaipur, Pin:302039 (यहाँ के बाद "आवेदक" संदर्भित किया गया है) के निम्नलिखित आर टी आई आवेदन इस कार्यालय को online RTI portal द्वारा प्राप्त हुए हैं, के सम्बन्ध में जारी किया जा रहा है:-

क्रम संख्या	आवेदन पंजीकरण संख्या एवं दिनांक	वांछित सूचना
1	GSTJP/R/T/25/00144 dated 04.06.2025	Please provide information under RTI Act 2005 regarding applicability of Section 74 of CGST Act 2017 on small businesses using online advertisement services from foreign companies like Facebook Ireland Ltd

In this regard, the desired information is as below: -

1. Already available on cbic.gov.in
2. Does not pertain to this office, not registered with this office.
3. Levy and Collection under OIDAR is already available on cbic.gov.in
4. GST liability under RCM are imposed as per section 9 of the CGST Act,2017.
5. Outreach programmes were conducted on PAN India basis.
6. as per provisions specified in law.
7. No such notice issued by this office.
8. No such details of Audit conducted available with this office.

आवेदक इस आदेश के खिलाफ अपर आयुक्त और प्रथम अपीलीय अधिकारी (आरटीआई), सी. जी. एस. टी. (अंकेक्षण) आयुक्तालय, जी-105, गली न. 5, नव जोधपुर औद्योगिक क्षेत्र, बासनी, जोधपुर को आदेश प्राप्ति के 30 दिन में अपील कर सकते हैं।

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

प्रेषित,

Ankit Agarwal  
D 392 , Vidhyadhar Nagar  
Jaipur, Pin:302039